दिनांक– 04.02.2020 को अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा सुपौल के पिपरा अंचल में चल रहे विशेष सर्वेक्षण कार्यों की समीक्षा के क्रम में दिए गए निदेश :–

दिनांक– 04.02.2020 को अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा सुपौल जिला के अंतर्गत चल रहे विशेष सर्वेक्षण कार्यों की समीक्षा की गई। समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी सुपौल, निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, अपर समाहर्त्ता–सह प्रभारी पदाधिकारी सुपौल, सहायक निदेशक भू–अभिलेख एवं परिमाप एवं अन्य पदाधिकारी के साथ सुपौल के पिपरा अंचल में चल रहे विशेष सर्वेक्षण शिविर संख्या–1 जो आधुनिक अभिलेखागार भवन पिपरा में अवस्थित है, का निरीक्षण किया गया। निरीक्षणोपरांत ग्राम कटैया माहे में कार्यरत अमीन एवं हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा किए गए कार्यों का भी निरीक्षण किया गया। शिविर एवं स्थल निरीक्षण के क्रम में अपर मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया अंतर्गत गुणवता एवं गति के साथ सर्वेक्षण करना सरकार की प्राथमिकता है।

समीक्षोपरांत निम्नांकित बिन्दुओं पर निदेश दिए गए :–

1. **मानचित्र निर्माण एवं ग्राम सीमा निर्धारण के संबंध में :–** निदेशित किया गया कि किश्तवार प्रक्रिया अंतर्गत मानचित्र निर्माण के क्रम में जब ग्राम की सीमा निर्धारित की जाती है तो इस बात का विशेष ध्यान रखे गए कि विगत सर्वेक्षण की तुलना में वर्त्तमान ग्राम सीमा में आए बदलाव के संबंध में कोई वैधानिक व्यवधान उत्पन्न नहीं हो और भविष्य में न्यायिक वादों का सामना नहीं करना पड़े। इसके लिए जिला स्तर पर बंदोबस्त पदाधिकारी हर संभव उपाय करेंगे आवश्यकतानुसार इस संबंध में राज्य स्तर से दिशा निर्देश भी दिए जाए। हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों के प्रतिनिधियों को निदेश दिया गया कि वे यथा संभव अद्यतन धरातलीय स्थिति के अनुसार त्रुटिरहित मानचित्र का निर्माण करेंगे।

   अनुपालनः– हवाई सर्वेक्षण एजेंसी / बंदोबस्त पदाधिकारी / प्रभारी पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, सुपौल।

2. **सर्वेक्षण शिविर में संधारित अभिलेख :–** पिपरा अंचल अंतर्गत विशेष सर्वेक्षण शिविर संख्या–2 में संधारित अभिलेखों के अवलोकन के पश्चात निदेश दिया गया कि अभिलेख लेखन का माडल प्रारूप तैयार कर लिया जाए जिसमें सभी प्रक्रमवार किए जाने वाले कार्यों के विवरण के साथ आवश्यकतानुसार अधिनियम एवं नियमावली के संदर्भो, हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के इकरारनामे के अनुसार उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यो इत्यादि का बिन्दुवार विवरण अंकित हो।

   अनुपालनः– बंदोबस्त पदाधिकारी / प्रभारी पदाधिकारी बंदोबस्त, सुपौल।

3. **सर्वेक्षण प्रक्रिया में रैयतों द्वारा दिए जाने वाले वंशावली के संबंध में :–** विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया के रैयतों द्वारा स्वघोषणा के साथ दिए जाने वाले वंशावली के संबंध में निदेश दिया गया कि वंशावली के साथ संलग्न किए जाने वाले वंशवृक्ष का एक माडल प्रारूप तैयार कर रैयतों को उपलब्ध कराया जाए एवं वंशवृक्ष को स्थानीय स्तर पर वार्ड सदस्य/पंच के हस्ताक्षरित कराकर मुखिया/सरपंच से प्रतिहस्ताक्षरित करा लिया जाए।

अनुपालनः– बंदोबस्त पदाधिकारी/सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (मु0), सुपौल।

4. **मानचित्र में सरकारी भूमि की पहचान अंकित करने के संबंध में :–** क्षेत्र में कार्यरत हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के प्रतिनिधियों को निदेशित किया गया कि पूर्व के सर्वेक्षण मानचित्र के अनुसार जल निकायों, कब्रिस्तान एवं अन्य विशिष्ट प्रकार की सरकारी भूमि तथा वर्त्तमान परिदृश्य में स्पष्ट परिलक्षित होने वाली सरकारी भूमि को किश्तवार प्रकर्म में ही मानचित्र पर अंकित कर दिया जाए।

निदेश दिया गया कि सी0एस0 में वर्णित सरकारी भूमि की संरक्षा के समुचित प्रबंध किए जाएं। इस तरह की भूमि अगर किसी को बंदोबस्त की गई है तो संबंधित अंचल अधिकारी से इसकी पुष्टि करा ली जाए। अगर कहीं अतिक्रमण है तो उसे विशेष सर्वेक्षण मानचित्र एवं अधिकार अभिलेख में प्रदर्शित नहीं किया जाए।

अनुपालनः– हवाई सर्वेक्षण एजेंसी/बंदोबस्त पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी बंदोबस्त, सुपौल।

5. **जमाबंदी रद्द करने के संबंध में :–** निदेश दिया गया कि अपर समाहर्त्ता अभियान चला कर जल स्त्रोतों पर कायम किये गये जमाबंदियों को रद्द करने की कार्रवाई शुरू करेंगे। ऐसी अन्य गलत जमाबंदियों की जानकारी लेकर उसे रद्द करने की कार्रवाई भी करेंगे।

अनुपालनः– अपर समाहर्त्ता, सुपौल।

6. **पाइलट के तौर पर किसी एक ग्राम के कार्य के संबंध में :–** निदेशित किया गया तत्काल किसी एक कम संख्या वाले ग्राम को चिन्हित करते हुए उससे संबंधित सभी कार्य पूर्ण किए जाए और प्रक्रमवार आनेवाली समस्याओं को चिन्हित करते हुए उनका समाधान सुनिश्चित किया जाए। अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि शिविर संख्या–2 में सबसे कम खेसरा लक्ष्मणदास चकला ग्राम में लगभग 1000 खेसरा है, जिसके किश्तवार की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और खानापुरी का कार्य मार्च में समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

अनुपालनः– बंदोबस्त पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, सुपौल।

7. **मानचित्र में अंकित किए जाने वाले संकेत चिन्हों (Legend) के संबंध में :–** मानचित्रों में अंकित किए गए संकेत चिन्हों एवं अन्य विवरणों के बारे में अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया कि संकेत चिन्हों की सूची बिलकुल स्पष्ट रूप से अमीन एवं एजेंसी के साथ साझा की जाए और वैसे सभी महत्वपूर्ण संकेत चिन्ह जिन्हें मानचित्र की मुद्रित प्रति में शामिल किया जाना

है, की सूची GIS सलाहकार द्वारा अविलंब जिला बंदोबस्त/शिविर/अमीन को उपलब्ध कराई जाए साथ ही त्रि-सीमानों पर अंकित किए जाने वाले कोड के संबंध में स्पष्ट निदेश दिए जाए।

संकेत चिन्हों की सूची को सभी जिलों के बंदोबस्त पदाधिकारियों को देकर उसपर उनके सुझाव मांगे जाएं और उसके बाद इस सूची को अंतिम रूप दिया जाए। कई ऐसे संकेत चिन्ह जिनकी उपलब्धता/प्रासंगिकता कम हो चुकी है उनको प्रमुखता नहीं दी जाए।

अनुपालन:- GIS सलाहकार/हवाई सर्वेक्षण एजेंसी/ बंदोबस्त पदाधिकारी, सुपौल

निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः - 17-विशेष सर्वेक्षण-भ्रमण- 134/2017.....218..... पटना, दिनांक :- 5/02/2020

प्रतिलिपि:- समाहर्त्ता-सह-बंदोबस्त पदाधिकारी, सुपौल, नालंदा, मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, किशनगंज, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णियाँ कटिहार, शिवहर, बांका, अरवल, जमुई, जहानाबाद, सितामढ़ी, पश्चिम चंपारण, अररिया एवं शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः - 17-विशेष सर्वेक्षण-भ्रमण- 134/2017.....218..... पटना, दिनांक :- 5/02/2020

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित अपर समाहर्त्ता-सह-प्रभारी पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय/सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (मु0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः - 17-विशेष सर्वेक्षण-भ्रमण- 134/2017.....218..... पटना, दिनांक :- 5/02/2020

प्रतिलिपि:- M/s IL&FS Enviromental Infrastructure & Services Ltd. New Delhi/ IIC Technologies, Ltd. Hyderabad/ GIS Consortium Ltd. New Delhi को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः - 17-विशेष सर्वेक्षण-भ्रमण- 134/2017.....218..... पटना, दिनांक :- 5/02/2020

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाप